भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4237
उत्तर देने की तारीख : 18.07.2019

सच्चर समिति सिफारिशों का कार्यान्वयन

4237. श्री मोहम्मद आज़म खांः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2014 से 2019 की अवधि के दौरान सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू करने हेतु कोई नीति या योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/जिला–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क) से (ग): भारत के मुस्लिम की समुदाय की स्थिति पर सच्चर समिति की रिपोर्ट 17.11.2006 को प्रस्तुत की गई थी। सच्चर समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति का ब्यौरा इस मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है। 2014 से 2019 की अवधि के दौरान सरकार ने समाज के प्रत्येक वर्ग जिसमें केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों नामतः मुस्लिम, सिक्ख, बौद्ध, ईसाई, पारसी तथा जैन शामिल हैं के सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण एवं उत्थान के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। मंत्रालय का बजट वर्ष 2013–14 के 3511 करोड़ रु0 से बढ़कर 2019–20 में 4700 करोड़ रु0 हो गया है।

सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों नामतः मुस्लिम, सिक्ख, बौद्ध, ईसाई, पारसी तथा जैन समुदायों के छात्रों को 3.18 करोड़ छात्रवृत्तियां प्रदान की है। इनमें से छात्राएं लाभार्थियों के 50% से अधिक बैठती हैं। तीन छात्रवृत्ति योजनाएं अब राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है और वर्ष 2015 से वर्ष 2015 से, ये छात्रवृत्ति योजनाएं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के तहत कार्यान्वित की जा रही है ताकि छल–कपट और हेरा–फेरी को रोककर कार्यदक्षता और पारदर्शिता लाई जा सके।

पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के अंतर्गत इस मंत्रालय ने इस योजना के अधीन अनेक परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिनमें 25 डिग्री कॉलेज, 1152 स्कूली भवन, 20228 अतिरिक्त क्लास रूम, 506 हॉस्टल, 71 आईटीआई, 5 पॉलिटेक्निक, 411 सद्भाव मण्डप, 92 आवासीय विद्यालय, 530 मार्किट शेड, 5090 आंगनवाड़ी केंद्र, 821 स्वास्थ्य परियोजनाएं, 2285 जल आपूर्ति परियोजनाएं, 11676 पक्के मकान इत्यादि शामिल है। इन परियोजनाओं का राज्य–वार ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान इस मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 3,93,711 युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान इस मंत्रालय की विभिन्न कोचिंग योजनाओं के अंतर्गत 59,988 छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की गई है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) ने स्व–रोजगार और आय सृजक उद्यमों के लिए केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों के 5,67,794 लाभार्थियों को रियायती ऋण प्रदान किए हैं।

केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का वर्ष 2014 से 2019 तक की अवधि सहित विवरण निम्नानुसार हैः–

छात्रवृत्तियां : मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजनाः – कक्षा I से X तक के लिए।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाः – कक्षा XI से पीएच.डी. तक के लिए।

मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाः – व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए।

मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्तिः – एम.फिल एवं पीएच.डी के लिए।

निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना (नया सवेरा): – व्यावसायिक पाठ्यक्रमों एवं सरकारी नौकरियों की प्रतियोगी परीक्षा के लिए।

पढ़ो परदेश:– विदेशों में अध्ययन हेतु शैक्षणिक ऋणों पर ब्याज सहायता की योजना।

नई उड़ानः– संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), राज्य लोक सेवा आयोगों (एसपीएससी) आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए सहायता।

हमारी धरोहर:– भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के अंतर्गत भारतीय अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए योजना।

जियो पारसी:– छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या में हो रही गिरावट को नियंत्रित करने की योजना।

नई रोशनी:– अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास और आत्म विश्वास पैदा करना।

रोजगार–उन्मुखी कौशल विकास पहलें – सीखो और कमाओ।

नई मंजिल:– स्कूल ड्रॉपआउट्स की औपचारिक स्कूली शिक्षा और कौशलीकरण की योजना

उस्ताद – (विकास के लिए परंपरागत कलाओं/शिल्पों में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन) और कारीगरों और शिल्पकारों को बाजार तथा अवसर उपलब्ध कराने के लिए हुनर हाट आयोजित करना।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके):– यह क्षेत्र विकास की एक योजना है। इस मंत्रालय ने इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए 1300 पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों की पहचान की है।

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) शिक्षा और रोजगार संबंधी योजनाएं कार्यान्वित करता है:–

– केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों की मेधावी बालिकाओं के लिए बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति।

– अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं के लिए अल्पकालिक रोजगार उन्मुखी कौशल विकास पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने के लिए गरीब नवाज रोजगार प्रशिक्षण।
– नई मंजिल योजना के अंतर्गत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ और जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली द्वारा मदरसा छात्रों और स्कूल ड्रॉपआउट्स के लिए ब्रिज पाठ्यक्रम।
– स्वच्छ विद्यालय पहल।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों को स्व–रोजगार और आय सृजक उद्यमों के लिए रियायती ऋण प्रदान करता है।

इसके अलावा, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम में, जो एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, सहभागी मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न योजनाओं/पहलों को कवर किया गया है और यह देश भर में कार्यान्वित किया जाता है। कार्यक्रम में शामिल सभी योजनाएं/पहलें सहभागी मंत्रालयों/विभागों द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए या तो अनन्य रूप से या समग्र वास्तविक/वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए कार्यान्वित की जाती हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यमान एवं नई योजनाओं के माध्यम से आर्थिक क्रियाकलापों एवं रोजगार में साम्यपूर्ण हिस्सा सुनिश्चित करते हुए, स्वरोजगार तथा राज्य एवं केंद्र सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए बढ़ी हुई ऋण सहायता प्रदान करते हुए अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा के साथ–साथ सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है।

चल रही योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण इस मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in; www.maef.nic.in; और www.nmdfc.org पर भी उपलब्ध है।

*****